रजिस्टर्ड सं०डी—(डीएन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 23, 1987 (ज्येष्ठ 2, 1909)
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 23, 1987 (JYAISTHA 2, 1909)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	435
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	611
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	707
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	4089
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिज़ाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	391
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2453
भाग IV— गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	71
भाग V— अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई ।

1—71 GI/87

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	435
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	611
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	707
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	4089
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	391
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2453
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	71
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत् नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1987

सं० 42-प्रेज़/87—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री इन्द्रजीत सिंह संधु,
उप कमांडर, आई० आर० एल० ए० संख्या 1429,
52 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।

श्री वाजिद अली,
कांस्टेबल सं० 79001359,
52 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

26 जून, 1986 को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ खतरनाक आतंकवादी थाना सदर बटाला, गांव गाली आह्लानी में एक "डेरे" पर छिपे हुए हैं। उग्रवादियों के छिपने के स्थान पर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त रूप से छापा मारने की योजना बनायी गयी । श्री इन्द्रजीत सिंह संधू, सीमा सुरक्षा बल की 52 बटालियन के उप-कमांडर, ने सीमा सुरक्षा बल के दल का नेतृत्व किया, जिसमें 16 कार्मिक थे । सीमा सुरक्षा बल का दल छिपने के स्थान की पश्चिमी दिशा से आगे बढ़ा जबकि छापामार पार्टी के दूसरे ग्रुप अन्य दिशाओं से बढ़े । सैनिकों और पुलिस पार्टी की कार्रवाई इतनी अधिक सावधानी से नियोजित की गयी कि अपराधियों को तब पता चला जब उन्हें घेर लिया गया । सैनिकों को मोर्चे पर तैनात करने के बाद श्री संधु ने अपराधियों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा। इस पर आततायियों ने सभी दिशाओं से छापामार पार्टी पर अन्धाधुन्ध गोलियां चलानी शुरू कर दी । सैनिकों ने गोली का जवाब गोली से दिया। एक घण्टे तक गोलियां चलायी जाती रहीं लेकिन उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। श्री संधु ने महसूस किया कि अन्धेरा हो रहा है और अपराधी, अत्यधिक प्रशिक्षित कमाण्डों होने के कारण अंधेरे का लाभ उठा कर भाग सकते हैं। वे तत्काल कांस्टेबल वाजिद अली के साथ उग्रवादियों के छिपने के स्थान की ओर आगे बढ़े । कुछ गज चलने के बाद श्री संधू ने वाजिद अली को मोर्चा सम्भालने और गोलियों का आवरण देने का निर्देश दिया । श्री संधू भारी व्यक्तिगत खतरे पर गोलियों की बौछार के नीचे रेंगते हुए गए । एक उग्रवादी ने उनकी इस कार्रवाई को देख लिया। उसने अपनी स्टैनगन से श्री संधू पर गोलियां बरसायीं । इसके बावजूद श्री संधू आगे बढ़ते रहे और एक लाभप्रद मोर्चा सम्भाल लिया । कांस्टेबल वाजिद अली को भी उग्रवादियों ने देख लिया और उन पर भारी गोला-बारी की । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे भी गोलियों की बौछार के नीचे रेंगते हुए लाभप्रद स्थिति में आ गए और श्री संधू को गोलियों का आवरण देते रहे । इसी समय, श्री संधू अपनी नई स्थिति से उग्रवादियों को गोली मारने में समर्थ हो गए । उसके बाद उग्रवादियों की ओर से गोली-बारी बन्द हो गयी । छापामार दल आगे बढ़ा और उन्हें तीन शव प्राप्त हुए । मृत आतंकवादियों की बाद में रणजीत सिंह उर्फ बाबा, माखन सिंह, और गुरमेज सिंह के रूप में शिनाख्त की गयी । बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला बारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री इन्द्रजीत सिंह संधू, उप-कमांडेंट और श्री वाजिद अली, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फल-स्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 जून 1986 से दिए जाएंगे ।

सं० 43-प्रेज़/87—राष्ट्रपति केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रणधीर सिंह,
कांस्टेबल सं० 8039414
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
बी० एच०, ई० एल०
हरिद्वार ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

1 मार्च, 1986 को श्री रणधीर सिंह, कांस्टेबल तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अन्य कार्मिक बी० एच० ई० एल० के हैवी इलेक्ट्रीकल एण्ड इक्विपमेंट प्लांट के अन्दर गस्ती ड्यूटी पर थे । ब्लाक-III के सामने केन्टीन सं० 2 के पास से गुजरते हुए, कांस्टेबल रणधीर सिंह ने दो अज्ञात व्यक्तियों को अपने कन्धों पर कुछ सामान को एक अन्य व्यक्ति के

संरक्षण में कम्पलेक्स की परिधि दीवार की तरफ ले जाते हुए देखा। गश्ती दल द्वारा ललकारे जाने पर अपराधियों ने सामान फेंक दिया और भाग गए। उनमें से एक को पकड़ लिया गया और अन्य दो का कांस्टेबल रणधीर सिंह ने पीछा किया। एक अपराधी ने श्री रणधीर सिंह पर गोली चलायी और परिधि दीवार पर चढ़ने की कोशिश की। सौभाग्यवश, गोली श्री रणधीर सिंह को नहीं लगी परन्तु एक अपराधी दीवार पार करने में सफल रहा और बचकर भाग गया। अन्य अपराधी जो पीछे रह गया था, ने पिस्तौल में पुनः गोलियां भरने की कोशिश की। तभी श्री रणधीर सिंह अपराधी पर झपटे, उसे काबू में किया और पिस्तौल छीन ली। अपराधी को जमील पुत्र बशीर के रूप में पहचाना गया। उसे थाना रानीपुर के सुपुर्द कर दिया गया। अपराधी शस्त्र अधिनियम, आबकारी अधिनियम, सेंधमारी अधिनियम के तहत मामलों समेत, अनेक मामलों में अन्तर्ग्रस्त था।

इस घटना में श्री रणधीर सिंह, कांस्टेबल ने अनुकरणीय साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 मार्च 1986 से दिया जाएगा।

सं० 44-प्रेज/87—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री मेवालाल दुबे,
हैडकांस्टेबल सं० 218,
थाना कोतवाली,
जिला मंदसौर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

23 जुलाई, 1983 को थाना कोतवाली, मंदसौर में सूचना प्राप्त हुई कि गौरी मोहल्ले में एक पुलिस कांस्टेबल अपनी राइफल से लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला रहा है। अपराधी को पकड़ने के लिए एक पुलिस उप-निरीक्षक, हैड कांस्टेबल मेवालाल दुबे और दो कांस्टेबलों का एक पुलिस दल गौरी मोहल्ले को भेजा गया। जब पुलिस दल गौरी मोहल्ला पहुंचा तो वहां बहुत गड़बड़ थी और लोग अंधाधुंध गोली चलाए जाने और मरने के कारण डर से भाग रहे थे। उप-निरीक्षक और सिपाही लोगों को नियंत्रित करने में व्यस्त हो गए तथा एक अन्य कांस्टेबल के साथ हैड कांस्टेबल मेवा लाल दुबे ने कांस्टेबल रमेश शर्मा जो गोली चला रहा था, का पीछा किया। पुलिस कार्मिकों को देखकर उसने उन पर गोली चलानी शुरू कर दी और उनको एक पान की दुकान के पीछे आड़ लेनी पड़ी। अपराधी शुक्ला चौक की तरफ मुड़ गया। हैड कांस्टेबल मेवा लाल दुबे पीछे से उसके पास पहुंचे और उसको काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वह छुड़ाकर भाग गया। उसी समय वह पीछे मुड़ा और श्री मेवा लाल दुबे पर गोली चलायी। वे लेट गए और गोली लगने से बच गए। रमेश शर्मा द्वारा चलाई गयी एक दूसरी गोली से भी श्री मेवा लाल दुबे बच गए लेकिन उसने एक महिला को घातक रूप से घायल कर दिया। अब श्री मेवा लाल दुबे ने रमेश के ठीक सामने होकर जल्दी-जल्दी दो गोलियां चलाईं और हत्यारे कांस्टेबल रमेश शर्मा को मारने में सफल हो गए। राईफल के चैम्बर में एक सक्रिय राउण्ड और रमेश शर्मा की जेब से 36 राउण्ड बरामद किए गए। हैड कांस्टेबल मेवालाल दुबे द्वारा मारे जाने से पहले कांस्टेबल रमेश शर्मा ने 13 व्यक्तियों की हत्या कर दी थी और 9 को घायल कर दिया था।

इस घटना में श्री मेवा लाल दुबे, हैड कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 जुलाई, 1983 से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन
राष्ट्रपति का उप सचिव

गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अप्रैल 1987

संकल्प

सं० 1/20017/2/85-रा०भा०(क-1)—राजभाषा विभाग के 13 अगस्त, 1985 के संकल्प सं० 1/20017/2/85-रा० भा० (क-1) के अधीन पुनर्गठित केन्द्रीय हिन्दी समिति की उपसमिति में स्वर्गीय श्री श्रीकान्त वर्मा, सदस्य की जगह पर श्री एन० तोम्बी सिंह, संसद सदस्य, को उपसमिति के सदस्य के रूप में भारत सरकार सहर्ष नियुक्त करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति के सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजा जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए।

शंभु दयाल, संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक अप्रैल 1987

संकल्प

सं० 43-28/74-एल० डी० टी०—इस मंत्रालय के संकल्प सं० 43-28/74-एल० डी० टी० दिनांक 27-5-1985 और 4-7-1985 के क्रम में केन्द्रीय कुक्कुट विकास सलाहकार परिषद् का पुनः संगठन करके केन्द्रीय कुक्कुट विकास सलाहकार परिषद् के उपाध्यक्ष के रूप में कृषि राज्य मंत्री तथा सदस्य के रूप में निदेशक, पशु-पालन, गुजरात राज्य 14-5-1988 तक परिषद् की शेष अवधि के लिए नामित किए गए हैं।

के० एन० अर्धनारीश्वरन, अपर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 अप्रैल 1987

संकल्प

सं० ई० 11011/4/85-समन्वय (हिन्दी)—इस विभाग के 21 अप्रैल, 1986 के संकल्प सं० ई०-11011/4/85-समन्वय (हिन्दी) में और संशोधन करते हुए डा० (श्रीमती) सरला माहेश्वरी को इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की एक गैर-सरकारी सदस्या के रूप में नामित किया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अनिल बोर्दिया, सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 1987

सं० फा० 9-19/85-यू०-3—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, आयोग की सलाह पर, उक्त उल्लिखित अधिनियम के प्रयोजनार्थ तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पूणे को विश्वविद्यालय समझी जानेवाली संस्था घोषित करती है।

जे० डी० गुप्ता, संयुक्त सचिव

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 1987

संकल्प

सं० 4-4/86-एन० सी० ए० (भाग-I)—राष्ट्रीय कला परिषद द्वारा 20 जून, 1986 को हुई अपनी द्वितीय बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार के लिए एक सांस्कृतिक नीति तैयार करने में सहायता करने के लिए संसाधन जुटाने सम्बन्धी एक समिति गठित करने का प्रश्न कुछ समय पूर्व से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचाराधीन रहा है। अब एक समिति गठित करने का निर्णय किया गया है जिसका गठन और विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

गठन :

1. श्रीमती पुपुल जयकर—अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी
3. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
4. आई० एन० टी० ए० सी० एच० का प्रतिनिधि
5. वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि
6. सुविख्यात गैर-सरकारी सांस्कृतिक संस्था के अध्यक्ष
7. संयुक्त सचिव, संस्कृति विभाग—संयोजक

विचारार्थ विषय :

1. आकर्षक कर शर्तों पर अंशदानों के जरिए एक राष्ट्रीय कला निधि की स्थापना के सम्बन्ध में सिफारिशें करना।
2. आयकर कानूनों और विनियमों में संशोधन करने के सम्बन्ध में सुझाव देना ताकि सांस्कृतिक विकास के लिए उचित प्रोत्साहन दिए जा सकें।
3. वस्तुओं के रूप में करों के भुगतान के सुझाव की जांच करना ताकि संग्रहालयों के लिए कलावस्तुओं तथा निधियों को आकर्षित किया जा सके।
4. यह जांच करना कि कृषि, स्वास्थ्य, जनजातीय विकास, संचार, पर्यटन, उद्योग, आदि जैसे सम्बन्धित क्षेत्रों के बजटों की कुछ प्रतिशत सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए निश्चित करना सम्भव हो सकता है।
5. सांस्कृतिक विकास के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के तौर-तरीकों का मूल्यांकन करना जिनमें सांस्कृतिक विकास कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने में स्थानीय समुदाय की विस्तृत सहभागिता भी शामिल है तथा गैर-सरकारी सांस्कृतिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के तौर तरीकों के बारे में सुझाव देना।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों और सभी राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्रों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

संकल्प

सं० 4-4/86-एन० सी० ए० (भाग-II)—राष्ट्रीय कला परिषद् द्वारा 20 जून, 1986 को हुई अपनी द्वितीय बैठक में की गई सिफारिशों के के अनुसरण में भारत सरकार के लिए सांस्कृतिक नीति तैयार करने में सहायता करने के लिए संरक्षण, समन्वय और संयोजन सम्बन्धी एक समिति गठित करने का प्रश्न कुछ समय पूर्व से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचाराधीन रहा है। अब एक समिति गठित करने का निर्णय किया गया है जिसका गठन और विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

गठन :

1. अध्यक्ष—श्री आर० एन० मिश्रा
2. निदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय
3. निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय
4. निदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार
5. श्री मार्तण्ड सिंह
6. पर्यटन मंत्रालय का प्रतिनिधि
7. पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि
8. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का प्रतिनिधि
9. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण—संयोजक

विचारार्थ विषय :

1. सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत, मौखिक तथा लोक परम्परा और जनजातीय तथा ग्रामीण कला एवं शिल्प के परिरक्षण, संरक्षण तथा प्रसार के लिए विशेष कार्यक्रमों का सुझाव देना।
2. कृषि, स्वास्थ्य, जनजातीय विकास, संचार, पर्यटन, उद्योग आदि जैसे सभी सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए योजना बनाने में सांस्कृतिक विषय-वस्तु के कार्यक्रमों को, पहले विकास क्षेत्र में सांस्कृतिक विषय-वस्तु वाले सभी ऐसे कार्यक्रमों का पता लगाकर और तत्पश्चात् इन कार्यक्रमों का अनुस्थापन करके समन्वित करने के लिए एक केन्द्रीय समन्वय तंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता की जांच करना।
3. राष्ट्र की पांडुलिपियों, विशेष रूप से पुरानी और महत्वपूर्ण पुस्तकों की देखभाल करने के लिए एक केन्द्रीय एजेंसी स्थापित करने के सुझाव की जांच करना।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों और सभी राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्रों को भेजी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को जन-साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

संकल्प

सं० एफ० 4-4/86-एन० सी० ए० (भाग-III)—राष्ट्रीय कला परिषद द्वारा 20 जून, 1986 को हुई अपनी द्वितीय बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार के लिये सांस्कृतिक नीति तैयार करने में सहायता करने के लिये शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी एक समिति गठित करने का प्रश्न कुछ समय पूर्व से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचाराधीन रहा है। अब एक समिति गठित करने का निर्णय किया गया है जिसका गठन और विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे।

गठन :

1. अध्यक्ष—श्री मोहन मुखर्जी
2. डा. मुल्क राज आनन्द
3. श्री श्याम बेनेगल
4. डा. (श्रीमती) कमुद मेहता
5. सचिव, कला विभाग
6. संयुक्त शिक्षा सलाहकार (भाषा)
7. निदेशक, सी.सी.आर.टी.
8. निदेशक, सी.आई.आई.एल., मैसूर
9. निदेशक, रा. शै.अ.प्र.परि.
10. सचिव, शिक्षा, कर्नाटक
11. सचिव, संस्कृति, मध्य प्रदेश सरकार
12. आई० एन० टी० ए० सी० एच० का प्रतिनिधि
13. संयुक्त सचिव (संस्कृति) संयोजक

विचारार्थ विषय :

1. शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों विभिन्न स्तरों पर पाठ्यचर्या में सांस्कृतिक विषयवस्तु समाविष्ट करने के तौर तरीकों के बारे में सुझाव देना।

2. शिक्षकों, स्कूल, निरीक्षकों, कालेज अध्यापकों, प्रशिक्षकों आदि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जांच, समीक्षा करना तथा परिवर्तन, यदि कोई हो, के बारे में सुझाव देना, जहां तक वे कला और विषय में हमारी सांस्कृतिक परम्परा से सम्बन्धित है।

3. नई शिक्षा नीति, 1986 के अन्तर्गत प्रस्तावित नीति और कार्रवाई योजना को ध्यान में रखते हुए ठोस कार्यक्रमों का सुझाव देना।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा सभी राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को जन सामान्य की सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

संकल्प

सं० 4-4/86-एन० सी० ए० (भाग IV)—राष्ट्रीय कला परिषद द्वारा 20 जून, 1986 को हुई अपनी द्वितीय बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार के लिये सांस्कृतिक नीति तैयार करने में सहायता करने के लिये, जन संचार माध्यमों के जरिये सांस्कृतिक प्रसार सम्बन्धी एक समिति गठित करने का प्रश्न कुछ समय पूर्व से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचाराधीन रहा है। अब एक समिति गठित करने का निर्णय किया गया है जिसका गठन और विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे—

गठन :

1. प्रो० यशपाल, अध्यक्ष
   अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
2. श्री गिरीश कर्नाड
3. डा० जब्बार पटेल
4. श्री एच० वाई० शारदा प्रसाद
5. अपर सचिव (शिक्षा)
6. शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)।
7. संयुक्त सचिव (स्कूल)
8. संयुक्त सचिव (प्रसारण), सूचना और प्रसारण
9. संयुक्त निदेशक, रा० शै० अ० प्र० परि० (ए० के० जे०)
10. संयुक्त निदेशक, रा० शै० अ० प्र० परि० (एम० एम० सी०)
11. डा० एम० मुखोपाध्याय, (एन० आई० ई० पी० ए०)
12. प्रो० ओम विकास, रा० शै० अ० प्र. परि०
13. उप सचिव (ई० टी०) संयोजक

विचारार्थ विषय :

1. समाज के विभिन्न स्तर, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न विचारधाराओं के लोगों के बीच संचार के सम्बन्ध स्थापित करने तथा हमारी संस्कृति की समृद्ध परम्परा का प्रसार करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक जागरूकता पैदा करने तथा विकसित करने और दृष्टिकोणों एवं प्रवृत्तियों के आमूलचूल परिवर्तन के लिये जन संचार माध्यमों, विशेष रूप से आकाश वाणी और दूरदर्शन के सर्वोत्तम उपयोग की सिफारिश करना।

2. देश की सांस्कृतिक परम्परा के संरक्षण और परिरक्षण और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के लिये इसका प्रसार करने की आवश्यकता की जागरूकता को बढ़ावा देने के तरीकों के सम्बन्ध में सुझाव देना।

3. सांस्कृतिक अवस्थापना और तंत्र के विकास के साधनों के रूप में राज्य/जिला स्तरों तर सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना के लिये सुझावों की जांच करना, जिनसे अनेकता में एकता की भावना पर बल देने के उद्देश्य से केन्द्र राज्य के बीच एक प्रकार का सांस्कृतिक सहयोग उत्पन्न होगा।

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के कार्यक्रमों और नीति में प्रतिबिंबित ठोस कार्यक्रमों के बारे में सुझाव देना।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा सभी राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों को भज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि जनसाधारण की सूचना के लिये संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

मन मोहन सिंह, संयुक्त सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल 1987

संकल्प

विषय:—भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान सोसायटी को मिलाना।

सं० एफ० 23-1/86-डी० III (खेल):—जबकि राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान सोसायटी तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 17 अगस्त, 1985 के संकल्प संख्या 16-5/65-पी० ई० 4 के अनुसरण में, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत, पंजीकृत सोसायटी के रूप में, कथित संकल्प में व्यौरों के अनुसार, खेल कूद और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी।

और जबकि भारतीय खेल प्राधिकरण तत्कालीन खेल विभाग के दिनांक 25 जनवरी, 1984 के संकल्प संख्या मि० 1-1/83-भा० खे० प्रा० के अनुक्रम में, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत, पंजीकृत सोसायटी के रूप में, उस संकल्प में ब्यौरा के अनुसार, खेल कूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।

और जबकि समन्वय के दृष्टिकोण से और खेल कूद तथा शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने को सुनिश्चित करने को ध्यान में रखकर, उपर्युक्त दो पंजीकृत सोसायटियों ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत, अपने को मिलाने के लिये अपने सम्बन्धित एसोसियेशन के ज्ञापन में संशोधन किया है और उसे उद्देश्यार्थ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अनुसार, अपेक्षित संकल्प भी पारित किये हैं।

और जबकि भारत सरकार ने अब दोनों सोसायटियों के एसोसियेशन के ज्ञापन में उक्त संशोधन और उनके एकीकरण को मंजूरी दी है;

और जबकि भारत के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने एकीकृत सोसायटी के प्रथम अध्यक्ष होने की स्वीकृति दी है;

अतः अब एतद्द्वारा निम्नलिखित संकल्पित किया गया है :—

1. राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान सोसायटी 1 मई 1987 से भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ एकीकृत हो जायगी
2. यथा संशोधित भारतीय खेल प्राधिकरण के एसोसियेशन के ज्ञापन और नियम, एकीकृत भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्यों को शासित करेंगे ;
3. एकीकरण से पूर्व दोनों सोसायटियों की परिसम्पत्तियां और उत्तरदायित्व, अब से उस एकीकृत सोसायटी अर्थात् भारतीय खेल प्राधिकरण के होंगे; और
4. भारत सरकार, एकीकृत निकाय के मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति अतिरिक्त सचिव भारत सरकार के लिये लागू वेतनमान में करेगी। वह भारतीय खेल प्राधिकरण के नियमों के अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये और इसकी एक प्रति सभी संबंधित को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों को भेजी जाये।

आर० गोपालस्वामी, सचिव

सूचना और प्रभारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल, 1987

संकल्प

सं० 309/3/84-टी० वी०:—इस मंत्रालय के दिनांक 6 जनवरी, 1986 के समसंख्यक संकल्प द्वारा यथा संशोधित इस मंत्रालय के दिनांक 21 जनवरी, 1985 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 6 जनवरी, 1986 के संकल्प के पैरा 1(2) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाये:—

"वीडियो कार्यक्रम निर्माण करने के लिये स्वदेशी सप्लाई के 3/4" यू मैटिक (मानक बैंड) फार्मेट और/या "1" बी फार्मेट उपकरणों को प्रयुक्त करने वाले केन्द्रों की स्थापना करने के लिये आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा। विदेशी टी० वी० संजालों को स्वीकार्य तकनीकी गुणवत्ता और मानकों के वीडियो कार्यक्रमों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिये इस प्रकार के कार्यक्रमों के निर्माण के लिये अपेक्षित कैमरों, कैसेटों/टेप रिकार्डरों, सहायक उपकरणों और अन्य प्रकार के उपकरणों सहित वीडियो रिकार्डिंग उपकरणों के आयात के लिये आवेदन पत्रों पर भी गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जायेगा। ऐसे मामलों में, जहां भूतकाल में कम्पोनेंट रिकार्डिंग उपकरण (यथा बैटाकाम, क्वार्टरकाम, आदि) आयात करने के लिये स्वीकृत आवेदकों पर नियति अनुबन्ध लगाया गया था, उसे अब हटा लिया गया समझा जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इसे सर्व साधारण की सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इसकी प्रति सभी संबंधितों (राज्यों संघ शासित क्षेत्रों/ भारत सरकार के मंत्रालयों) को भेज दी जाये।

आर० सी० सिन्हा, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 14th May, 1987

No. 42-Pres/87.— The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name and rank of the officers

Shri Inderjit Singh Sandhu,
Deputy Commandant, IRLA No. 1429,
52 Battalion, B. S. F.

Shri Wazid Ali,
Constable No. 79001359,
52 Battalion, B. S. F.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 26th June, 1986 an information was received that some dreaded terrorists were hiding in a 'Dera' in village Kali Brahmani P.S. Sadar Batala. A joint raid of Police and BSF was planned on the hide-out of the extremists. Shri Inderjit Singh Sandhu, Dy. Commandant of 52 Battalion. BSF led the BSF party comprised of 16 personnel. The BSF party closed-in from the Western side of the hide-out while the other groups of the raiding party came from other directions. The move of the troops and Police party was planned and conducted in such a meticulous way that the criminals could not notice it before they were encircled. After placing the men in position, Shri Sandhu challenged the criminals to surrender. At this the desperadoes started firing indiscriminately on the raiding party from all sides. The troops returned the fire. The firing continued for about one hour, but the extremists refused to surrender. Shri Sandhu realised that it was getting dark and the criminals, being highly trained commands, might escape under the cover of darkness. He, alongwith Constable Wazid Ali immediately advanced towards the extremists' hide-out. After advancing a few yards, Shri Sandhu instructed Constable Wazid Ali to take position and provide cover fire. Shri Sandhu at grave personal risk crawled under the spray of bullets. His move was noticed by one of the extremists who fired bursts from his sten-gun on Shri Sandhu. Despite this, Shri Sandhu continued to advance further and occupied an advantageous position. Constable Wazid Ali was also spotted by the extremists and he came under heavy fire. Unmindful of personal safety, he too crawled further under the spray of bullets to an advantageous position and continued providing cover fire to Shri Sandhu. At the same time, Shri Sandhu, from his new position was able to shoot down the extremist. Thereafter, the firing from the extremists' side stopped. The raiding party moved forward and found three dead bodies. The dead terrorists were later identified as Ranjit Singh alias Baba, Makhan Singh and Gurmej Singh. Large quantity of arms and ammunitions were also recovered.

In this encounter, Shri Inderjit Singh Sandhu, Deputy Commandent and Shri Wazid Ali, Contable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 26th June, 1986.

No. 43-Pres/87.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Industrial Security Force :—

Name and rank of the officer

Shri Randhir Singh,
Constable (No. 8039414),
CISF Unit, BHEL,
Hardwar.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 1st March, 1985, Shri Randhir Singh, Constable and other CISF personnel, were on patrolling duty inside the Heavy Electrical and Equipment Plant of BHEL. While passing near Canteen No. 2 in front of Block III, Constable Randhir Singh noticed two unknown persons taking away some material on their shoulders escorted by another person towards the perimeter wall of the complex. On being challenged by patrolling party, the criminals threw the material and ran away. One of them was apprehended and the other two were chased by Constable Randhir Singh. One of the criminals fired at Shri Randhir Singh and tried to climb up the perimeter wall. Fortunately, the bullet did not hit Shri Randhir Singh but one of the criminals managed to scale over the wall and escaped. The other criminal who was left behind tried to re-load his pistol. At this time Shri Randhir Singh pounced upon the criminal, over-powered him and snatched the pistol. The criminal was identified as Jamil son of Bashir. He was handed over to Police Station Ranipur. The criminal was also involved in a number of cases including cases under Arms Act, Excise Act, Burglary etc.

In this incident, Shri Randhir Singh, Constable showed exemplary courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 1st March, 1986.

No. 44-Pres/87.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermenitoned officer of the Madhya Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Mewa Lal Dubey,
Head Constable No. 218,
P. S. Kotwali,
District Mandsaur.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 23rd July, 1983 an information was received at P. S. Kotwali, Mandsaur that a Police Constable was firing indiscriminately with his rifle at people in Gouri Mohalla. A Police party consisting of one Sub-Inspector of Police, Head Constable Mewa Lal Dubey and two Constables was sent to Gouri Mohalla to apprehend the culprit. When the Police party reached Gouri Mohalla, there was utter chaos and people were running in panic due to the indiscriminate firing and killings. The Sub-Inspector and a Constable got busy in controlling the people and Head Constable Mewa Lal Dubey with another Constable followed the trail of Constable Ramesh Sharma who was firing. On seeing the Police personnel, he started firing at them and they had to take cover behind a pan shop and the culprit turned towards Shukla Chowk. Head Constable Mewa Lal Dubey was able to approach him from behind and tried to over-power him, but he slipped away. At the same time he turned back and fired at Shri Mewa Lal Dubey. He took lying position and escaped a bullet, which passed over him. Another round fired by Ramesh Sharma missed Shri Mewa Lal Dubey and hit a lady injuring her fatally. Now face to face with Sharma, Shri Mewa Lal Dubey fired two rounds in rapid succession and succeeded in killing the murderer Constable Ramesh Sharma. One live round in the chamber of rifle and 36 rounds in the pocket of Ramesh Sharma were recovered. Constable Ramesh Sharma had already killed 13 persons and injured 9, before Head Constable Mewa Lal Dubey brought him down.

In this incident, Shri Mewa Lal Dubey, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 23rd July, 1983.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy. to the President.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

New Delhi, the 30th April 1987

RESOLUTION

No. 1/20017/2/85-OL(A-1).—The Government of India have been pleased to appoint Shri N. Tombi Singh, Member of Parliament, as member of the UP Samati of the Kendriya Hindi Samiti in place of Late Shri Shrikant Verma, member of the UP-Samiti reconstituted under the Department of Official Language Resolution No. 1/20017/2/85-OL(A-1) dated 13th August, 1985.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Administrations of Union Territories, all the Ministries and Departments of the Government of India, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General Central Revenues, the Lok Sabha Secretariat, and the Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. DAYAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COORPERATION

New Delhi, the 6th April 1987

RESOLUTION

No. 43/28/74-LDT.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 43-28/74-LDT dated 27-5-1985 and 4-7-85 reconstituting the Central Poultry Development Advisory Council, Minister of State for Agriculture has been nominated as Vice-Chairman and the Director of Animal Husbandry, Gujarat State has been nominated as member of the Central Poultry Development Advisory Council for the remaining term of the Council till 14-5-1988.

K. N. ARDHANAREESWARAN, Addl. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi-110001, the 21st April 1987

RESOLUTION

No. E. 11011/4/85-CDN(H).—In further modification of this Department's Resolution No. E. 11011/4/85-CDN(H) dated 21st April, 1986, Dr. (Smt.) Sarla Maheswari is nominated as a non-official member of the Hindi Salahakar Samiti of this Ministry.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Samiti, All State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ANIL BORDIA, Secy.

New Delhi, the 24th April 1987

No. F.9-19/85-U.3.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the Commission, hereby declare that the Tilak Maharashtra Vidyapeeth, Pune shall be deemed to be a University for the purpose of the aforesaid Act.

J. D. GUPTA, Joint Secy.

(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 30th April 1987

RESOLUTION

No. 4-4/86-NCA(Pt.I).—The Ministry of Human Resource Development have had under consideration for some time past, in pursuance of the recommendations made by the National Council of Arts in its Second Meeting held on the 20th June, 1986, the question of the setting up of a Committee on Mobilisation of Resources, to help evolve a cultural policy for the Government of India. It has now been decided to set up a Committee with the following composition and terms of reference :—

Composition

1. Smt. Pupul Jayakar—Chairman.
2. Chairman, Sangeet Natak Academi.
3. Director General, Archaeological Survey of India.
4. Representative of INTACH.
5. Representative of Ministry of Finance.
6. Head of an eminent non-official Cultural institution.
7. Joint Secretary, Department of Culture—Convenor.

Terms of Reference

1. To make recommendations for the creation of a National Art Fund through contributions on attractive tax terms.

2. To suggest amendments in the Income Tax laws and Regulations so as to provide appropriate incentives for cultural development.

3. To examine the suggestion of payment of taxes in kind, in order to attract art objects and treasures to museums.

4. To examine whether it would be possible to earmark a certain percentage of the budgets of related sectors like agriculture, health, tribal development, communications, tourism, industry, etc. for cultural activities.

5. To assess ways and means of augmenting financial resources for cultural development including extended local community participation in financial cultural development programmes and to suggest ways and means of supporting non-official cultural institutions.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India and all the State Governments and Union Territories.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. 4-4/86-NCA CELL(Pt.II).—The Ministry of Human Resource Development have had under consideration for some time past, in pursuance of the recommendations made by the National Council of Arts in its Second Meeting held on the 20th June, 1986, the question of the setting up of a Committee on Conservation, Coordination & Linkages, to help evolve a cultural policy for the Government of India. It has now been decided to set up a Committee with the following composition and terms of reference :—

Composition

1. Chairman—Shri R. N. Mirdha.
2. Director, National Museum.
3. Director, National Library.
4. Director, National Archives.
5. Shri Martand Singh.
6. Representative of the Ministry of Tourism.
7. Representative of the Department of Environment.
8. Representative of the Department of Science and Technology.
9. Director General, Archaeological Survey of India—*Convenor.*

Terms of Reference

1. To suggest special programmes for preservation, conservation and dissemination of cultural and natural heritage, oral and folk tradition and tribal and rural arts and crafts.

2. To examine the need for the setting up a Central co-ordination machinery to coordinate the programmes of cultural content in planning for all relevant sectors like agriculture, health, tribal development, communications, tourism industry, etc. by first identifying all such programmes having a cultural content in the development sector and thereafter giving re-orientation to these programmes.

3. To examine the suggestion to establish a Central Agency to look after the nation's manuscripts—especially the preservation of old and important books.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India and all the State Governments and Union Territories.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. F.4-4/86-NCA(Pt.III).—The Ministry of Human Resource Development have had under consideration for some time past, in pursuance of the recommendations made by the National Council of Arts in its Second Meeting held on the 20th June, 1986, the question of setting up a Committee on Education and Culture to help evolve a cultural policy for the Government of India. It has now been decided to set up a Committee with the following composition and terms of reference :—

Composition

1. Chairman—Shri Mohan Mukerji.
2. Dr. Mulk Raj Anand.
3. Shri Shyam Benegal.
4. Dr. (Smt.) Kumud Mehta.
5. Secretary, Department of Arts.
6. Joint Educational Adviser (Languages).
7. Director, C.C.R.T.
8. Director, C.I.I.L., Mysore.
9. Director, N.C.E.R.T.
10. Secretary, Education, Karnataka.
11. Secretary, Culture, Government of Madhya Pradesh.
12. Representative of INTACH.
13. Joint Secretary (Culture)—Convenor.

Terms of Reference

1. Suggest ways and means of incorporating cultural content in the curriculum at different levels of education, both formal and non-formal.

2. To examine, review and suggest changes, if any, in the training programmes of teachers, school inspectors, college teachers, trainers, etc. in so far as they relate to our cultural heritage in arts and crafts.

3. To suggest concrete programmes in keeping with policy and programmes of Action suggested under New Policy on Education, 1986.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India and all the State Governments and Union Territories.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. 4-4/86-NCA(Pt. IV).—The Ministry of Human Resource Development have had under consideration for some time past, in pursuance of the recommendations made by the National Council of Arts in its Second Meeting held on the

20th June, 1986, the questian of the setting up of a Committee on Cultural Dissemination through Mass Media, to help evolve a cultural policy for the Government of India. It has now been decided to set up the Committee with the following composition and terms of reference :—

Composition

1. Prof. Yashpal,
   Chairman,
   University Grants Commission—Chairman.
2. Shri Girish Karnad.
3. Dr. Jabbar Patel.
4. Shri H. Y. Sharada Prasad.
5. Additional Secretary (Education).
6. Educational Adviser (Technical).
7. Joint Secretary (Schools).
8. Joint Secretary [Broadcasting (I&B)].
9. Joint Director, N.C.E.R.T. (AKJ).
10. Joint Director, N.C.E.R.T. (MMC).
11. Dr. M. Mukhopadhyaya (NIEPA).
12. Prof. Om Vikas, N.C.E.R.T.
13. Deputy Secretary (ET)—Convenor.

Terms of Reference

1. To make recommendations for optimum use of the mass media, particularly Akashwani and Doordarshan for the creation and development of cultural awareness and for a radical transformation of approaches and attitudes with the object of building bridges of communication between different strata of society, different regions and different faiths as well as propogating the rich heritage of our culture.

2. To suggest ways to promote awareness of the need for preservation and conservation of the country's cultural heritage and its propogation in the cause of promoting national integration.

3. To examine the suggestion for the setting up cultural complexes at State/District levels as a means for the development of a cultural infrastructure and machinery which will bring about a kind of Centre-State cultural alliance with a view to emphasise the theme of unity in diversity.

4. To suggest concrete programmes reflected in Policy and Programmes of under National Policy on Education, 1986.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India and all the State Governments and Union Territories.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

MAN MOHAN SINGH, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

New Delhi, the 28th April 1987

RESOLUTION

SUBJECT : *Amalgamation of the Society for the National Institute of Physical Education and Sports with the Sports Authority of India.*

No. F.23-1/86-DIII(SP).—WHEREAS the Society for the National Institute for Physical Education and Sports was set up as a society registered under the Societies Registration Act of 1860 in pursuance of Resolution No. F.16-6/65-PE.4 dated the 17th August, 1965, of the then Ministry of Education, with the objective of promotion of games, sports and physical education as detailed in the said Resolution;

AND WHEREAS the Sports Authority of India was set up as a society registered under the Registration of Societies Act, 1860, in pursuance of the Resolution No. F.1-1/83-SAI, dated the 25th January, 1984, of the then Department of Sports, with the objective of promotion of sports and games, as detailed in that Resolution;

AND WHEREAS with a view to ensuring a coordinated approach and undertaking of promotion of sports, games and physical education, the two registered societies mentioned above have amended their respective Memoranda of Association enabling their amalgamation under the Societies Registration Act, 1860, and have also adopted the necessary Resolutions in accordance with the Societies Registration Act, 1860, for that purpose;

AND WHEREAS the Government of India have since accorded approval to the said amendments in the Memoranda of Association of the two societies and to their amalgamation;

AND WHEREAS Shri Rajiv Gandhi, the Prime Minister of India, has accepted to be the first President of the amalgamated society;

It is, therefore, hereby resolved as follows :—

1. The Society for the National Institutes of Physical Education and Sports shall stand amalgamated with the Sports Authority of India with effect from 1st May, 1987;
2. The Memorandum of Association and Rules of the Sports Authority of India as amended shall govern the functioning of the amalgamated Sports Authority of India;
3. The assets and liabilities of the two Societies prior to amalgamation shall henceforth be those of the amalgamated Society, i.e. the Sports Authority of India; and
4. The Government of India shall appoint the Chief Executive of the amalgamated body in the pay-scale as applicable to an Additional Secretary to Government of India. He shall exercise all the powers of the Principal Executive Officer in accordance with the rules of the Sports Authority of India.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India and communicated to all concerned.

ORDERED also that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations.

R. GOPALASWAMY, Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 23rd April 1987

RESOLUTION

No. 309/3/84-TV.—In partial modification of this Ministry's Resolution of even number dated January 21, 1985 as further amended vide this Ministry's Resolution of the same number dated 6th January 1986, it has been decided that para 1(ii) of the Resolution dated 6th January 1986 may be substituted by the following paragraph :—

"Application for setting up such centres using 3/4"U-matic (Standard B and) format and/or 1 "B format equipment of indigenous supply for generating video software will be considered. To promote production of video programmes of technical quality and standards acceptable to foreign TV networks, applications for import of video recording equipment including camera, cassette/tape recorders, accessories and other types of equipments required for production of such programmes would also be considered on merits. In cases where export obligation was imposed in the past on the applicants allowed to import component recording equipment (like Betacam, Quartercam, etc.) the same will be treated to have been withdrawn."

ORDER

ORDERED that this be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED also that a copy of this be sent to all concerned. (States/Union Territories/Ministries of the Government of India).

R. C. SINHA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1987